



मध्यप्रदेशभोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

म.प्र भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय कोलार रोड भोपाल-462016(म.प्र.)

Tel. 0755-2424660, 0755-2492093 & 0755-2492096 website- <http://mpbou.edu.in/>

क्र.- 3370 भोपाल, दिनांक 17/11/2022

"अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रण"

विश्वविद्यालय में बी.एड.(सामान्य शिक्षा) विभाग में विभिन्न विषयों (हिन्दी / अंग्रेजी / विज्ञान / गणित / समाजिक विज्ञान) में सत्र 2022 (दिसंबर 2022 तक) के लिए शैक्षणिक कार्य हेतु शिक्षकीय पदों पर कार्य करने हेतु इच्छुक एवं अर्हताधारी उम्मीदवारों से आवेदन के साथ शैक्षणिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव के समस्त अर्हतादायी दस्तावेजों की छाया प्रति को संलग्न कर दिनांक 31.01.2022 तक मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में प्रेषित करना अनिवार्य होगा। शिक्षकों का आमंत्रण म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 969/F-1-9/2016/38-1 भोपाल दिनांक 08.08.16 एव आदेश क्र. 1-42/2017/38-1 भोपाल, दिनांक 26 जून 2018 में दिये गये प्रावधानों एवं साक्षात्कार के माध्यम से भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के नियम निर्देशों के अनुसार होगा। शैक्षणिक अर्हता, पद संख्या (आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय) एवं मानदेय आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाईट <http://mpbou.edu.in/> का अवलोकन करें।

कुलसचिव

“अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रण”

शैक्षणिक अर्हता, पद संख्या (आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय) एवं मानदेय की जानकारी

क्र.	पद	संख्या, कुल -06 विषय, विशेषज्ञता (शिक्षा)	शैक्षणिक अर्हता	मानदेय
1	अतिथि शिक्षक	हिन्दी-01 अंग्रेजी-01 विज्ञान -02 गणित -01 समाजिक विज्ञान -01	(1)मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (हिन्दी/अंग्रेजी/विज्ञान/गणित/समाजिक विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिग्री (कम से कम 55%) के साथ। (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एड. डिग्री कम से कम 55% अंक हो। (3) एनसीटीई एवं यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता संबंधित विषय (शिक्षा) में पी.एच.डी./नेट/स्लेट/सेट नोट:- यूजीसी विनियम 2009 यथा संशोधित के अनुरूप पी.एच. डी. उपाधि धारक अथवा उन उम्मीदवारों को जिन्होंने विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा पीएच.डी. उपाधि यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पाँच शर्तों की पूर्ति संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो, को नेट(NET)/स्लेट/सेट की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी।	रुपये 1500/-प्रतिदिन अधिकतम 30,000/- प्रति माह

नोट:-1 अतिथि विद्वानों का आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय,जबलपुर में दायर याचिका के निर्णय के अध्यायधीन रहेगा।

2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित एवं विभेदक रूप से सक्षम (Differently abled) का अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता में न्यूनतम अंका में छूट सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दी जावेगी।

अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सरल क्रमांक	आवेदक का नाम, पता, एवं मोबाइल नम्बर	संवर्ग	जन्मतिथि	स्नातक स्तर का प्राप्तांक एवं प्रतिशत	स्नातकोत्तर स्तर का प्राप्तांक एवं प्रतिशत	बी.एड. प्राप्तांक एवं प्रतिशत	एम.एड. प्राप्तांक एवं प्रतिशत	पीएचडी/एमफिल/नेट/सेट	अनुभव वर्षवार						रिमार्क
									16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	योग	

दिनांक :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

1. उपरोक्त प्रविष्टियों से संबंधित अभिलेख स्वप्रमाणित संलग्न किया जाना आवश्यक है। मूल दस्तावेज साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित जारी अनुभव प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक वर्ष के 4 अंक का अधिभार प्रतिवर्ष दिया जायेगा जो अधिकतम 20 अंक प्रदान किये जायेंगे। साक्षात्कार के लिए 20 अंक निर्धारित है।
4. चयन के संबंध में लिये गये निर्णय का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा।
5. अतिथि शिक्षको का आमंत्रण मान. उच्च न्यायालय में दायर याचिका के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।